न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 1620–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 06–05–2014 पारित –व्दारा–अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर – प्रकरण 230/अ–6/11–12 अपील

1– घूराम पुत्र तनयश्री तिजई यादव
2– कल्याण सिंह 3– रामेश्वर सिंह
4– धर्मजीत सिंह तीनों पुत्रगण स्व.जंगीसिंह
सभी निवासी ग्राम दौनी तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती नौनी दुलैया आयु 85 वर्ष
पत्नि स्व. बैजनाथ यादव निवासी
स्टेट बैंक आफ इंडिया एंव गनेश
मंदिर के पास नौगॉव जिला छतरपुर
2– मध्य प्रदेश शासन

--अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी
अनावेदिका के अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह
म.प्र.शासन के पैनल अभिभाषक श्री बी.एन.त्यागी

आदेश

(आज दिनांक 4.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण 230/अ–6/11–12 अपील में पारित आदेश दि. 6–5–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीक्षक, भू अभिलेख भू प्रबंधन व्दारा ग्राम दौनी की नामान्तरण पंजी कमांक 10 पर आदेश दिनांक 11–12–2007 से अनावेदिका के नाम की भूमि कुल किता 13 का अनावेदिका एंव आवेदकगण के बीच नामांत्रण/बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदिका ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर, छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत कर

आदेश दिनांक 11–12–2007 से अपील प्रस्तुत करने की अवधि 6–9–2012 तक के विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण 230/अ–6/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दि. 6–5–14 से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6–5–14 का परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि अधीक्षक, भू अभिलेख भू प्रबंधन ने ग्राम दौनी की नामान्तरण पंजी कमांक 10 पर आदेश दिनांक 11–12–2007 से अनावेदिका के नाम की भूमि कुल किता 13 का बटवारा अनावेदिका एंव आवेदकगण के बीच कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदिका ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा बताया कि उसे अधीक्षक, भू अभिलेख भू प्रबंधन के आदेश दिनांक 11–12–07 की जानकारी समय पर नहीं हुई, क्योंकि जिस बटवारा स्टाम्प को आधार मानकर बटवारा किया गया है उस पर उसके फर्जी निशानी अंगुष्ठ लगाये गये है उसे व्यक्तिगत सूचना भी नहीं दी गई।

अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील प्रचलन के दौरान निशानी अंगूठे की जांच का तथ्य आया। थाना प्रभारी नौगॉव के पत्र दिनांक 21–1–13 से स्पष्ट हुआ कि नामान्तरण पंजी में अंकित अंगूठा अनावेदिका नौनी दुलैया का नहीं है और फर्जी अंगूठे पर अपराध कायम होकर विवेचना में है। अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण ने आवेदन देकर निशानी अंगूठे की पुनः जांच कराने का आग्रह किया, जो अंतरिम आदेश दिनांक 10.4.13 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने न्यायालय राजस्व

मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1489/।।—2013 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 2—12—2013 से निरस्त हुई।

5/ अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण वापिस होने पर पुनः सुनवाई प्रारंभ हुई तथा अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों को सुना गया एंव ग्राम दौनी की नामान्तरण पंजी कमांक 10 पर आदेश दिनांक 11—12—2007 से किया गया नामांत्रण/बटवारे पर अनावेदिका के फर्जी अंगुष्ठ होने के आधार पर उसे आदेश की जानकारी यथासमय न होना प्रमाणित पाये जाने पर अंतरिम आदेश दिनांक 6—5—2014 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सदभाविक मानकर क्षमा कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रकरण में विचार यह किया जाना है कि अपर कलेक्टर छतरपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 6—5—14 पारित कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है :—

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 — पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है— उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959(म.प्र.) — धारा 47 — सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार—रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।
3. भू राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.) धारा 47 गरीब, निरक्षर एंव पर्दानसीन महिला — सदभावना —पूर्वक उदाररूख अपनाना चाहिये ।

(लज्जाराम शर्मा विरूद्व म0प्र0राज्य, 1991 रा0नि0 127(उच्च न्यायालय) एंव श्रीमती धापूवाई विरूद्व यूनियन आफ इंडिया (2002)I MPWN 60 से अविलम्बित

विचाराधीन प्रकरण में अनावेदिका का फर्जी निशानी अॅगूठा लगाकर नामान्तरण/बटवारे की कार्यवाही कराई गई है और जांच में निशानी अंगूठा

फर्जी पाये जाने पर थाने में आपराधिक प्रकरण विवेचना में है, स्पष्ट है कि आवेदिका को अधीक्षक, भू अभिलेख भू प्रबंधन व्दारा ग्राम दौनी की नामान्तरण पंजी कमांक 10 पर पारित आदेश दिनांक 11–12–2007 की जानकारी यथासमय नहीं हुई और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, छतरपुर ने अनावेदिका व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण को समाधान–कारक मानने में त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 230/अ–6/2011–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–5–14 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर